न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः—4/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00004)

1. रतन खॉ पुत्र चाव खॉ, जाति मेव, निवासी तीतरका, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. कालूसिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, जाति लबाना सिख, निवासी बोलनी, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर, राजस्थान।

—— रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 31.01.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार कोटकासिम के आदेश दिनांक 27.12.2016 (प्रकरण संख्या 6/15) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 439 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 470 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा का 37/176 भाग वाके ग्राम तीतरका तहसील किशनगढबास जिला अलवर में स्थित है जिसके सम्बन्ध मे नामान्तरकरण संख्या 259 को अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय अलवर ने दिनांक 15.04.2000 को अपने निर्णय में निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार किशनगढबास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वारिसान की जॉच कर विरासत दर्ज करने की कार्यवाही करें, तहसीलदार किशनगढबास ने दिनांक 03.07.2000 को वसीयत के आधार पर मानसिंह की भूमि कालूसिंह पुत्र भगवानसिंह के नाम दर्ज करने के आदेश दिये तथा इस आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 369 कालूसिंह के हक में चढाया जाकर तहसीलदार किशनगढबास द्वारा दिनांक 11.07.2000 को स्वीकार किया गया, इस आदेश के खिलाफ रतन खॉ ने अपील अति.कलक्टर द्वितीय अलवर की अदालत में पेश की तथा दिनांक 04.05.2001 को अति. कलक्टर द्वितीय अलवर ने नामान्तरकरण संख्या 369 को निरस्त कर यह माना कि मानसिंह का कोई वारिस साबित नही है तथा प्रश्नगत भूमि को कब्जे राज लेने व राजगामी सम्पत्ति अधिनियम के तहत प्रकरण तैयार करने के निर्देश तहसीलदार किशनगढबास को दिये, इस आदेश दिनांक 04.05.2001 के खिलाफ रतन खॉ ने अपील संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष पेश की और न्यायालय श्रीमान् ने यह मानते हुऐ कि मानसिंह का एक पुत्र गुरमुखसिंह होना पाया गया है, अति.कलक्टर द्वितीय अलवर का निर्णय निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कोटकासिम को जॉच कर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया, जिस पर तहसीलदार किशनगढबास से पत्रावली मुन्तकिल होकर तहसीलदार कोटकासिम के गई जहॉ तहसीलदार कोटकासिम ने मानसिंह की आराजी को गलत तरीके से रेस्पोडेन्ट के हक में चढाये जाने की बैजा आज्ञा प्रदान की गई है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवाादित आराजी खसरा नम्बर 439 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 470 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा का 37/176 भाग वाके ग्राम तीतरका तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर मानसिंह पुत्र वीरूसिंह की आलॉटशुदा खातेदारी की आराजी थी तथा खातेदार मानसिंह ने दोनासिंह के हक में एक मुख्त्यारनामा तहरीर कराकर सब रजिस्ट्रार किशनगढबास के पंजीबद्ध करा दिया तथा वादग्रस्त आराजी का बैचान अपीलान्ट रतन खॉ पुत्र चाव खॉ के हक में कर दिया गया, बेचान के सम्बन्ध मे एक बैयनामा मानसिंह के मुख्त्यारआम दोनासिंह ने दिनांक 05.04.1989 को रतन खॉ पुत्र चाव खॉ मेव के हक में पंजीबद्ध करा दिया और बैयनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 259 दर्ज कर दिया गया। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट के हक में हुए बैयनामें को आज तक किसी भी न्यायालय में चैलेन्ज नही किया गया है और ना ही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तरीके से यह माना गया है कि दोनासिंह व रतन खॉ ने मिलकर फर्जकारी करके बैयनामा बनाया है जबकि अपीलान्ट के खिलाफ फर्जकारी की रिपोर्ट दर्ज की गई है तथा चालान भी प्रस्तुत हुआ है जिसमें अपीलान्ट को बाइज्जत बरी किया गया है, सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा बैयनामें को निरस्त किये बिना तहसीलदार कोटकासिम को बैयनामों को फर्जी मानने का अधिकार प्राप्त नही था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नही किया गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि मानसिंह ने अपने जीवनकाल में कालू के हक में कोई वसीयत नही की थी, कई वर्षों तक कालू सिंह ने इस वसीयत को किसी भी न्यायालय में पेश भी नही किया गया, फर्जी वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट कालूसिंह, मानसिंह की आराजी को स्वयं के नाम चढ़वाना चाहता है जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा दस्तावेजी व मौखिक शाहादत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर नही किया गया है। उन्होने कथन किया है कि गुरमुखसिंह पुत्र मानसिंह उसका एकमात्र लड़का है ऐसी स्थिति में खातेदार मानसिंह द्वारा कालूसिंह को गोद लिये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। उन्होने कथन किया है कि तहसीलदार किशनगढबास ने सरासर मनमाने तौर पर आदेश इस बारे में गलत फरमाया है। उन्हाने आगे कथन किया है कि प्रकरण में न्यायालय श्रीमान् के रिमाण्ड आदेश दिनांक में स्पष्ट किया गया था कि मानसिंह के गुरमुखसिंह वारिस है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुरमुख सिंह को नोटिस देकर तलब नही किया गया, ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि मानसिंह के पुत्र गुरमुखसिंह ने नामान्तरकरण संख्या 222 की अपील की थी जिसमें कालूसिंह ने पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया था जो उपखण्ड अधिकारी ने कालूसिंह का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.1990 को खारिज कर दिया और निर्णय पारित किया कि कालूसिंह का मानसिंह की आराजी से कोई सम्बन्ध नही है जिसके विरूद्ध कालूसिंह ने माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी की, जो निगरानी दिनांक 04.011.1999 को खारिज फरमा दी गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 259 जो आराजी खसरा नम्बर 439 और 470 का था जो अपीलान्ट रतन खॉ के नाम तस्दीक हो चुका था तब तहसीलदार किशनगढबास से दिनांक 20.09. 1990 को नामान्तरकरण रतन खॉ अपीलान्ट के हक मे स्वीकार हो गया उसके बाद कालूसिंह ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील दायर की जो अपील भी कालूसिंह ने न्यायालय श्रीमान् से एकतरफा में रतन खॉ के खिलाफ फैसला करा लिया मगर उस अपील के निर्णय में भी कालूसिंह रेस्पोडेन्ट को इस अपील में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध न्यायालय ने उसे हक में कोई वसीयत होना नही माना और ना ही उसका कोई अधिकार होना माना। उन्होने आगे कथन किया है कि कब्जे के बारे में विवादित आराजी पर अपीलान्ट का ही कब्जा है, जो साफ तौर पर परिलक्षित होता है, प्रथम सूचना जो रतन खॉ के विरूद्ध धारा 302 ता.हि. में भी इस बारे में स्पष्ट उल्लेख है, नामान्तरकरण संख्या 259 में भी तहसीलदार किशनगढबास ने स्पष्ट लिखा है कि वक्त रजिर्स्टड बैयनामा मानसिंह खातेदार जीवित था, इस तरह से रतन खॉ के नाम जो बैयनामा व नामान्तरकरण हुए वो सही बाजाप्ता है, गुरमुखसिंह ने एक अभियोग रतन खॉ अपीलान्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 468, 420, 120 बी भा.द.सं. के तहत दर्ज कराया जिसमें रतन खॉ के विरूद्ध चालान हुआ जिसका ट्रायल होने पर इस अभियोग का गलत पाया गया, अभियोगी का कथन कि मानसिंह की मृत्यु दिनांक 19.01.1988 को हो चुकी थी मगर यह असत्य पाया गया अभियोग सरासर गलत था जिसकी प्रतिलिपि भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.16 पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटकासिम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि प्रथमतः वादग्रस्त आराजी के खातेदार मानसिंह का पुत्र गुरमुखसिंह, बिशनीबाई पत्नी सुमरा के गोद चला गया और उसे सुमरा की आराजी में विरासती तौर पर हक, अधिकार मिले है, ऐसी स्थिति में गुरमुखसिंह के अपने प्राकृतिक पिता की आराजी पर कोई अधिकार सृजित नही बनते है, द्वितीय वादग्रस्त आराजी का मुख्त्यारआम दौनासिंह द्वारा आराजी का विक्रय पत्र दिनांक 05.04.1989 को किया गया है जबकि उक्त मुख्त्यारनामा पंजीकृत दस्तावेज से दिनांक 29.10.1979 को ही निरस्त हो चुका है ऐसी स्थिति मे मुख्त्यारआम को वादग्रस्त आराजी का बैचान करने के अधिकार नही थे तथा खातेदार मानसिंह द्वारा बादग्रस्त आराजी की वसीयत रेस्पोडेन्ट के पक्ष में की गई है

संभागीय आयुक्त
जयपुर

और उक्त वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित करने सम्बन्धी किसी भी प्रकार के कोई साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नही हुऐ है ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त वसीयत वर्तमान मे प्रभावशील एव प्रचलन में है तथा उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटकासिम द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2016 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटकासिम द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2016 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।